महात्मा गांधी नरेगा प्रशासनिक व्यय अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

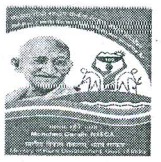

क्र. एफ 21(23)ग्रावि/नरेगा/प्रशासनिक व्यय/2013 जयपुर, दिनांक : 27 JAN 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः **कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 में चयनित/नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों को नियमित करने/निर्धारित वेतनमान देने बाबत।**

संदर्भः **अति. आयुक्त, पंचायती राज विभाग का पत्र कमांक डी–5008 दिनांक 15.12.2015**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 में चयनित/नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों को नियमित करने/निर्धारित वेतनमान देने के संबंध में श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से चर्चानुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना में प्रशासनिक व्यय मद में निर्धारित सीमा से अधिक व्यय होने की स्थिति में यह निर्णय लिया गया है कि उक्त कनिष्ठ लिपिकों को नियमित वेतन श्रृखला के अनुसार भुगतान की कार्यवाही पंचायती राज विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से की जावेगी। पंचायती राज विभाग द्वारा उक्त कार्यवाही पूर्ण करने तक उक्त कनिष्ठ लिपिकों को पूर्व की भांति वेतन (नियमित वेतन श्रृखला में स्थरीकरण से पूर्व का वेतन) महात्मा गांधी नरेगा योजना मद से दिया जायेगा। उक्त कनिष्ठ लिपिकों को नियमित वेतन श्रृखला के अनुसार वेतन तथा नियमित वेतन श्रृखला के एरियर का कोई भुगतान महात्मा गांधी नरेगा योजना मद से नहीं किया जावे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें। यदि किसी जिले द्वारा एक मुश्त वेतन के अधिक भुगतान की स्थिति पाई जाती है तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

भवदीय,

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान,
5. परियोजना अधिकारी (लेखा), ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
6. विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार, ईजीएस